

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

सहायक कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्ब0/2022/ 2123
दिनांक : 15-9-22

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या,
सम्बद्ध महाविद्यालय,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

विषय—महिला शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए महाविद्यालय/संस्थान में छात्रा कामन रूम, शौचालय एवं महिला सुरक्षा सेल की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के उच्च शिक्षा अनुभाग-1 के अनुस्मारक-II पत्र संख्या-410/सत्तर-1-2022, दिनांक-08 सितम्बर, 2022 के द्वारा (अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उ0प्र0 के माँग पत्र के अनुक्रम में) महाविद्यालय/संस्थान में छात्रा कामन रूम, शौचालय एवं महिला सुरक्षा सेल की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहना है कि महाविद्यालय/संस्थान में छात्रा कामन रूम, शौचालय (यदि महाविद्यालय/संस्थान में छात्रा कामन रूम एवं अलग महिला शौचालय की व्यवस्था पूर्व में न की गयी हो) एवं महिला सुरक्षा सेल की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय एवं कृत कार्यवाही की आख्या/सूचना प्राथमिकता के आधार पर अधोहस्ताक्षरी को तत्काल उपलब्ध कराया जाय।

भवदीय,

सहायक कुलसचिव

प्रतिलिपि:—

1. निजी सहायक कुलपति, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. वेब मास्टर को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

सहायक कुलसचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

सहायक कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्ब0/2022/ 2123
दिनांक : 15-9-22

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या,
सम्बद्ध महाविद्यालय,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

विषय—महिला शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए महाविद्यालय/संस्थान में छात्रा कामन रूम, शौचालय एवं महिला सुरक्षा सेल की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के उच्च शिक्षा अनुभाग-1 के अनुस्मारक-II पत्र संख्या-410/सत्तर-1-2022, दिनांक-08 सितम्बर, 2022 के द्वारा (अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उ0प्र0 के माँग पत्र के अनुक्रम में) महाविद्यालय/संस्थान में छात्रा कामन रूम, शौचालय एवं महिला सुरक्षा सेल की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहना है कि महाविद्यालय/संस्थान में छात्रा कामन रूम, शौचालय (यदि महाविद्यालय/संस्थान में छात्रा कामन रूम एवं अलग महिला शौचालय की व्यवस्था पूर्व में न की गयी हो) एवं महिला सुरक्षा सेल की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय एवं कृत कार्यवाही की आख्या/सूचना प्राथमिकता के आधार पर अधोहस्ताक्षरी को तत्काल उपलब्ध कराया जाय।

भवदीय,

सहायक कुलसचिव

प्रतिलिपि:—

1. निजी सहायक कुलपति, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. वेब मास्टर को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

सहायक कुलसचिव